"युद्ध"
(WAR)

परिभाषा :-

हाल :- जब राज्यों के बीच मतभेद इस सीमा तक पहुँच जाते है कि दोनो पक्षकार शक्ति का प्रयोग करते है या उनमें एक हिंसा का प्रयोग करता है जिसको दूसरा पक्षकार शांति का उल्लंघन मानता है

स्टार्क :- युद्ध सामान्यत: मुख्य रूप से दो या दो से अधिक राज्यो के सशस्त्र सैनिकों के बीच होता है और प्रत्येक देश का उद्देश्य होता है कि एक दूसरे को हरा दे या उससे शांति के लिए अपनी शर्तों को मनवाये।

प्रो. ओपेनहाइम :- के अनुसार भी युद्ध का मुख्य उद्देश्य विपक्षी को पूर्णतया उससे अपनी शर्तों को मनवाना है

डॉ. नगेन्द्र सिंह :-

युद्ध का उद्देश्य शत्रु-राज्य का पूर्ण विनाश नहीं है वरन् उसे सशस्त्र शक्ति से परास्त करना तथा अपनी शर्तों को मनवाना है

- युद्ध मुख्यत: युद्धरत देशो की जौंपो के बीच का संघर्ष है बल्कि इससे उन देशो के नागरिक भी प्रभावित रहते है

Scanned with CamScanner

युद्ध का प्रारम्भ :-

- युद्ध के प्रारम्भ की सूचना पत्र या विशेष दूत द्वारा की जाती थी
- 1904 जापान — रूप के विरुद्ध बिना सूचना

अतः 1907 हेग अभिसमय :-

युद्ध प्रारम्भ करने के पहले युद्ध की घोषणा आवश्यक

युद्ध का विधिक नियंत्रण :-

1924 का जेनेवा - प्रोटोकोल

1945 संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना

युद्ध के विधिक नियंत्रण, तावधान रखे गये

1. सदस्य राज्य अपनी समस्याओं समाधान शान्तिपूर्वक ढंग
2. राज्य की प्रादेशिक अखण्डता - स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल प्रयोग/धमकी
3. सुरक्षा परिषद सामूहिक कार्यवाही करने का अधिकार

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार 2 प्रकार से वैध युद्ध हो सकता है

1. अनुच्छेद 51 सदस्य राज्यों द्वारा आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए
2. अध्याय 7 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सामूहिक कार्यवाही करते हुए।

Scanned with CamScanner

युद्ध के प्रभाव :-
(Effect of war)

1. सामान्य प्रभाव :-

युद्ध द्वारा युद्धरत राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के पारस्परिक सभी विधिक सम्बन्धों का अंत हो जाते हैं
शांतिपूर्ण ~~सम्बन्ध~~ सम्बंध भंग हो जाते हैं

2. राजनयिक तथा वाणिज्य दूत सम्बन्ध :-

विच्छेद हो जाता है, अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को वापस बुला लेते हैं

3. सन्धियाँ :-

सभी सन्धियाँ समाप्त हो जाती हैं
कुछ पूर्णता समाप्त हो जाती है, कुछ लागू रहती है
तथा कुछ युद्धकाल के लिए निलम्बित हो जाती है

4. व्यापारिक सम्बन्ध / आवागमन :-

व्यापार - आवागमन वर्जित हो जाता है

5. संविदा :-

व्यक्तियों की संविदा में युद्ध का प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय न होकर राज्य विधि का विषय
दोनों देश स्वतंत्र हैं नियम खुद बना सकते हैं

6. शत्रु सम्पत्ति :-

सार्वजनिक शत्रु सम्पत्ति - जब्त की जा सकती है
जब्त
जब्त को सिर्फ उपयोग
तावेक्ट शत्रु सम्पत्ति - अस्थायी रूप सम्पत्ति

Scanned with CamScanner

7. योधी और अयोधी :-

सैनिक < वैध - पकड़ा / युद्धबंदी बनाया
- घायल
- मृत्यु की जा सकती है
अवैध - लड़ाकू पकड़ा जा सकता है
मुकदमा चलाया जा सकता है
घायल / आक्रमण नहीं

- अतः युद्ध युद्धरत राष्ट्रों के सशस्त्र सैनिकों के मध्य संघर्ष है तथा इसका उद्देश्य शत्रु को परास्त करना अथवा अपनी शर्तें मनवाना है

- वर्तमान समय में युद्ध से सशस्त्र सैनिक के अतिरिक्त नागरिक भी प्रभावित होते हैं जिससे युद्ध के नियमों का पालन असम्भव हो जाता है अतः ऐसे युद्ध को "पूर्ण युद्ध" कहा जाता है।

"fides etiam hostis servanda"

- परिस्थितियों की आवश्यकता, मानवीय आधार एवं अन्य कारणों से युद्धरत देशों का सद्भाव से पालन किया जाना चाहिए

Scanned with CamScanner